जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

Reg: BRLPS/Pro7-SD/870/15/936 Date: 09.07.2021

कार्यालय आदेश

मद्य-निषेध, शराबबंदी और नशा-मुक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

बिहार राज्य में वर्ष 2016 से शराबबन्दी कानून लागू है | इसे व्यावहारिक रूप दिये जाने तथा सफल बनाने की दिशा में जीविका के सामुदायिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है | जीविका की दीदियों द्वारा शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा उसके उपयोग पर निगरानी रखने की आवश्यकता है | इस दिशा में उत्पाद विभाग के अंतर्गत टोल फ्री नंबर-18003456268 / 15545 का प्रावधान किया गया है जिस पर ग्राम स्तर पर शराबबन्दी कानून के उल्लंघन का दृष्टांत पाए जाने पर दीदियाँ शिकायत दर्ज करा सकती हैं | यह स्पष्ट किया गया है कि दर्ज रिपोर्ट की ऐसी सूचना को सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा | प्रशासन द्वारा शराब के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों तथा शराबबन्दी से होने वाले फायदों का सभी स्तरों पर प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है | सतत प्रचार-प्रसार एवं कानूनी प्रक्रियाओं को दृढ़ता के साथ लागू किए जाने के उचित परिणाम भी प्राप्त हुए हैं | इस बात की भी आवश्यकता है कि जीविका से जुड़े सामुदायिक संगठन शराबबन्दी लागू करने वाले विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें | इस विषय में राज्य स्तर के सम्बंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर मद्य-निषेध को प्रभावी बनाने का निदेश है |

1. मद्य-निषेध अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने हेतु उपलब्ध टोल फ्री नंबर (18003456268/ 15545) पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की मानक-प्रणाली (SOP) की आवश्यकता है | इस हेतु SOP निर्माण का कार्य, जीविका संगठनों की सदस्यों, उत्पाद विभाग और जीविका के समन्वय से किया जाना है | समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रणाली में होने वाले बदलावों की सूचना भी जीविका समूह सदस्यों को उत्पाद विभाग और जीविका के समन्वय से उपलब्ध कराई जायेगी |
2. सामुदायिक संगठनों और सदस्यों द्वारा मद्य-निषेध से जुडी शिकायतों को उक्त टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया जायेगा | दर्ज शिकायतों पर उचित कार्रवाई न होने की स्थिति में सामुदायिक संगठनों / सदस्यों द्वारा शिकायतों की संक्षिप्त विवरणी सामुदायिक या

क्षेत्रीय समन्वयक और प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक, जीविका को प्रेषित की जायेगी | स्वयं सहायता समूह/ ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संघ/ सदस्यों के स्तर से मद्य-निषेध नीति उल्लंघन से जुड़ी शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संलग्न प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक को प्रेषित किया जाएगा जिन्हें वे एकत्रित कर जिला परियोजना प्रबन्धक को प्रेषित करेंगे |

3. जिला स्तर पर प्रेषित शिकायतों के सन्दर्भ में हुई कार्रवाई की विवरणी/ कार्यवाही की प्रतिलिपि प्राप्त कर जिला परियोजना प्रबन्धक सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक को प्रेषित करेंगे | प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक उक्त कार्रवाई की विवरणी/ कार्यवाही की प्रतिलिपि सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ की बैठक में सभी सदस्यों की जानकारी हेतु सुलभ कराएंगे |
4. राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (SPMU) के स्तर पर मद्य-निषेध नीति के उल्लंघन से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों और जिलों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु एक दल का गठन किया जाएगा | इस दल में सामाजिक विकास टीम और संचार टीम के राज्य स्तरीय प्रधान (Thematic Head), राज्य इकाई के युवा पेशेवर और जीविका संगठनों से 2 (दो) सक्रिय सदस्य होंगे | सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि जीविका की कार्यनीति के अनुरूप बदले जाते रहेंगे | राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर राज्य स्तरीय समिति की मासिक बैठक में चर्चा कर संकलित रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को प्रेषित की जाएगी तथा प्राप्त निदेश के अनुरूप, समुचित कार्रवाई की जायेगी |
5. सामुदायिक संगठनों की शिकायतों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में, प्रेषित शिकायतों की सूचना प्रखण्ड स्तर से जिला स्तर को दी जायेगी; जिला स्तर पर ऐसी शिकायतों की सूचना, राज्य-स्तर पर गठित दल को कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी |
6. जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्धक (DPM) द्वारा प्रखंडों में मद्य-निषेध से जुड़े कार्यों की मासिक समीक्षा की जायेगी | जिला स्तर पर प्राप्त मद्य-निषेध विषयक शिकायतों, प्रखण्ड स्तर पर लंबित शिकायतों के निराकरण और जिला में मद्य-निषेध के लिए सकारात्मक वातावरण निर्माण हेतु जिले में आयोजित होने वाली सभी बैठकों में शराबबंदी से जुड़े प्रयासों/ कार्यों पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जायेगी |
7. प्रखण्ड स्तर पर परियोजना कर्मी और कैडर / सामुदायिक संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के सहयोग से सामुदायिक संगठनों द्वारा मद्य-निषेध के कार्यों में सहयोग किया जाएगा| परियोजना कर्मी और कैडर प्रखण्ड स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण और प्रखण्ड में मद्य-निषेध के लिए सकारात्मक वातावरण निर्माण के कार्यों में सामुदायिक संगठनों को सहयोग करेंगे |
8. जिला स्तर पर कार्यरत प्रत्येक प्रबन्धक/ प्रत्येक प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक माह में कम-से-कम एक संकुल स्तरीय संघ एवं दो ग्राम संगठनों की बैठक में अन्य कार्यों के साथ

शराबबन्दी पर चर्चा करेंगे तथा समय-समय पर क्षेत्र - भ्रमण कर प्रखण्ड स्तर पर मद्य-निषेध अंतर्गत किये जा रहे कार्यों/ प्रयासों में सहयोग करने के अतिरिक्त संगठनों की शराबबन्दी से सम्बंधित रिपोर्ट जिला को प्रेषित करेंगे |

9. यदि किसी प्रखण्ड द्वारा एक माह में मद्य-निषेध अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं हो, तो वहां के संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन एवं समूहों में मद्य-निषेध प्रावधानों के अंतर्गत बैठकों में सदस्यों को पूर्ण मद्य-निषेध हेतु प्रेरित किया जाएगा और सभी सम्बंधित व्यक्तियों को सतर्कता को सघन करने हेतु कहा जाएगा |
10. समय-समय पर, सामुदायिक संगठनों और उनसे जुड़े सदस्यों के प्रोत्साहन एवं उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, अच्छा कार्य करने वाली दीदियों/ संगठनों को सम्मानित किया जाएगा |

जीविका के सामुदायिक संगठनों एवं परियोजना कर्मियों द्वारा पूर्ण मद्य-निषेध अभियान हेतु कार्य-योजना निम्नानुसार होगी :-

1. स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघों के स्तरों पर मद्य-निषेध नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने हेतु दीदियों द्वारा अपने क्षेत्र में शराब की बिक्री/ भण्डारण/ निर्माण पर सतत निगरानी रखनी होगी | सभी सामुदायिक संगठनों की बैठकों में सामजिक परिवर्तन (मद्य-निषेध से जुड़े) के एजेंडा के तहत चर्चा की जायेगी | चर्चा में शराबबंदी से समाज में आए सकारात्मक बदलाव; महिलाओं से जुडी हिंसा के मामलों में आयी कमी; बच्चों के साथ पारिवारिक सद्भाव बढ़ने से सकारात्मक सोच/ समझ का विकास प्रमुख बिंदु हो सकते हैं | इससे ग्राम-स्तर पर शराब बिक्री पर रोक लगाने की कार्यनीति पर सामुदायिक संगठनों की समझ विकसित हो सकेगी |

   पूर्ण और प्रभावी मद्य-निषेध और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु, समूह एवं सदस्य अपनी प्रतिबद्धता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने हेतु निम्न वाक्य को अपने परिचय में जोड़ कर, अपना परिचय देंगे, " ***मैं और मेरा परिवार, अपने गाँव एवं कार्यक्षेत्र में मद्य-निषेध को पूर्ण रूप से लागू कर उसे सशक्त, स्वच्छ और शराब मुक्त गाँव/ कार्यालय बनाएंगे |*** *"*

   यह प्रक्रिया, जीविका के प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों के कैडर/ कर्मियों की बैठक एवं प्रशिक्षण में भी कैडर/ कर्मियों द्वारा अनिवार्य रूप से व्यवहार में लाने हेतु, अपने परिचय के दौरान प्रयोग में लायी जाएगी |

2. संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन द्वारा मद्य-निषेध नीति पर चर्चा कर शराब/ नशे से जुड़े दुष्प्रभावों एवं नशा-मुक्ति/ शराबबंदी से होने वाले फायदों पर चर्चा की जाएगी |

शराबबंदी हेतु जागरूकता अभियान चलाने अथवा देशी शराब/ विदेशी शराब एवं ताड़ी के उपभोग/ भण्डारण/ निर्माण की गतिविधियों के सन्दर्भ में टोल फ्री नंबर 18003456268/ 15545 पर सूचना देने की प्रक्रिया पर भी समूह सदस्यों को जानकारी दी जाएगी |

3. संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन अंतर्गत गठित सामाजिक कार्य समिति (SAC) को निगरानी समिति के रूप में नामित कर संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन स्तर पर समूह सदस्यों को पूर्ण मद्य-निषेध नीति से अवगत कराया जाएगा | देशी शराब/ विदेशी शराब एवं ताड़ी भण्डारण/ निर्माण/ बिक्री कार्य से जुड़े परिवारों को चिह्नित कर उनके साथ भी पंचायत स्तर पर मद्य-निषेध नीति पर चर्चा कर नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्ति/ शराबबंदी के फायदों पर चर्चा एवं सदस्यों में पूर्ण शराबबंदी हेतु सकारात्मकता बनाये रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा |
4. सामुदायिक संगठनों के स्तरों पर मद्य-निषेध हेतु आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में क्षेत्र में मद्य-निषेध नीति के लागू कराने में आ रही समस्या और जुड़ी शिकायतों/ समस्याओं पर चर्चा की जायेगी | बैठकों की चर्चा को कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज कर, प्राप्त शिकायतों को साप्ताहिक रूप से अद्यतन और संकलित कर क्षेत्रीय समन्वयक और प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाएगा |
5. पूर्व में देशी शराब/ विदेशी शराब / ताड़ी से जुड़े परिवारों को जीविका समूह से (अगर पूर्व से जुड़े न हों तो) जोड़ने का प्रयास किया जाएगा | उपयुक्त परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना (SJY) अथवा अन्य योजनाओं से आच्छादित किया जा सकता है |
6. संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन द्वारा ताड़ी/ शराब के कार्य से जुड़े परिवारों का जीविकोपार्जन के वैकल्पिक साधनों से जुड़ाव हेतु चर्चा और मार्गदर्शन कर उन्हें तदनुसार उत्प्रेरित किया जाएगा |
7. सामुदायिक संगठनों के कार्यालयों में मद्य-निषेध प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन किया जाएगा | टोल फ्री नंबर-18003456268/ 15545 का लेखांकन सभी सामुदायिक संगठनों के स्तर पर संधारित रिकॉर्ड बुक, रजिस्टर और अन्य बूक्स (BoR) के प्रथम पृष्ठ/ कवर पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा | उत्पाद टोल फ्री नंबर-18003456268/ 15545 पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और इसकी गोपनीयता की जानकारी और जागरूकता विशेष रूप से ,सभी सदस्यों तक पहुंचायी जायेगी |
8. सामुदायिक संगठनों और सामुदायिक सहयोगियों की विभिन्न बैठकों एवं प्रशिक्षण में शराबबंदी पर सदस्यों के बीच चर्चा की जायेगी और उत्पाद टोल फ्री नंबर-18003456268/ 15545 की जानकारी भी दी जायेगी |
9. सामुदायिक संगठनों में निगरानी समिति (सामाजिक कार्य समिति - SAC) द्वारा मद्य मद्य-निषेध के कार्यों पर विशेष चर्चा की जायगी, जिससे सदस्यों में, पूर्ण और प्रभावी शराबबंदी और निगरानी से सम्बंधित, आवश्यक विश्वास पुनः स्थापित हो |

10. ऐसे सदस्य, जिनके परिवार शराब - बिक्री/ सेवन/ भण्डारण इत्यादि से जुड़े हों और लगातार प्रयास के बाद भी शराब बिक्री/ सेवन/ भण्डारण इत्यादि कार्य नहीं छोड़ रहे हों, उन्हें समूह द्वारा चिह्नित किया जाएगा | समूह स्तर पर ऐसे सदस्यों के साथ चर्चा एवं, समुपदेशन कर एक माह का समय तथा शराब - बिक्री/ सेवन/ भण्डारण इत्यादि विषयक कार्य छोड़ने और जीविकोपार्जन के अन्य साधनों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा | ऐसा निर्णय परियोजना कर्मियों के शराब सेवन में संलिप्त पाये जाने पर भी किया जायेगा | इसके बावजूद उन में सुधार न होने पर समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी |

शराबबन्दी को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए मद्य-निषेध की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामुदायिक संगठनों और सदस्यों को पुरस्कृत/ सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्तावित किया जाएगा / प्रत्येक त्रैमास पर प्रस्तावित संगठनों और सदस्यों को उनके कार्यों के लिए जिला प्रशासन और जीविका के समन्वय से जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा /

जिला स्तर पर कार्यरत प्रबंधक-सामाजिक विकास एवं प्रबंधक-संचार द्वारा शराबबन्दी से सम्बंधित विडियो/ फिल्म/ गीत; शराबबन्दी लागू होने से परिवार, ग्राम संगठन एवं पंचायत स्तर पर परिलक्षित होने वाले बदलावों को दर्शाने; प्रभावकारी प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार/ चर्चा कर सामुदायिक संगठनों के स्तर पर सदस्यों को शराबबन्दी के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रेरित किया जाएगा | शराबबन्दी से सम्बंधित प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन समस्त कैडर/ ग्राम संसाधन सेवी/ SAC सदस्य द्वारा ग्राम और संगठन स्तर पर किया जाएगा | उक्त कार्य करने के एवज में समस्त कैडर/ ग्राम संसाधन सेवी/ SAC सदस्य को जीविका आतंरिक सि.आर.पि. मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है |

अनुलग्नक:

1. साप्ताहिक प्रखण्ड स्तरीय मद्य-निषेध रिपोर्ट प्रपत्र
2. पाक्षिक जिला स्तरीय मद्य-निषेध रिपोर्ट प्रपत्र

05/07/2021

(बालामुरुगन डी0)
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

ज्ञापांक:BRLPS/Proj-SD/870/15/936 दिनांक: 09.07.2021

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(बालामुरुगन डी0)
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

ज्ञापांक:BRLPS/Proj-SD/870/15/936 दिनांक: 09.07.2021

प्रतिलिपि: सभी पुलिस अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(बालामुरुगन डी0)
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

ज्ञापांक:BRLPS/Proj-SD/870/15/936 दिनांक: 09.07.2021

प्रतिलिपि: निदेशक/ सभी परियोजना समन्वयक/ सभी राज्य परियोजना प्रबन्धक/ सभी जिला परियोजना प्रबन्धक/ प्रबन्धक-सामाजिक विकास/ प्रबन्धक-संचार / विषयगत प्रबन्धक/ सभी प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(बालामुरुगन डी0)
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

अनुलग्नक 1

प्रखण्ड स्तरीय मद्य-निषेध रिपोर्ट : साप्ताहिक

जिला:				प्रखण्ड:		पंचायत:		
तिथि:	माह:			प्राप्त शिकायतों की संख्या (कुल):		निष्पादित शिकायतों की संख्या:		
सप्ताह: 1/2/3/4/5						लंबित शिकायतों की संख्या:		
क्र. सं.	शिकायत-कर्ता का नाम	टोला का नाम और संख्या	ग्राम संगठन का नाम	ग्राम का नाम	शिकायत का प्रकार (शराब-सेवन/ बिक्री/ भण्डारण/ निर्माण/ इत्यादि)	किसके विरुद्ध शिकायत की गई है ?	क्या टोल फ्री नंबर पर शिकायत की गई है ? (हाँ/ नही/ टोल फ्री न. पर कॉल नही उठाया गया)	यदि किसी स्तर (थाना/ पंचायत/ प्रखण्ड) पर शिकायत लेने से मना किया गया है?

अनुलग्नक 2

जिला स्तरीय मद्य-निषेध रिपोर्ट (पाक्षिक/ प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर)

जिला:		तिथि:		माह:		सप्ताह: 1/2/3/4/5			
प्राप्त शिकायतों कुल संख्या:			निष्पादित शिकायतों की संख्या:			लंबित शिकायतों की संख्या:			
क्र. सं.	प्रखण्ड का नाम	टोला का नाम और संख्या	ग्राम संगठन का नाम	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	शिकायत का प्रकार (शराब-सेवन/ बिक्री/ भण्डारण/ निर्माण/ इत्यादि)	किसके विरुद्ध शिकायत की गई है ?	क्या टोल फ्री नंबर पर शिकायत की गई है ? (हाँ/ नही/ टोल फ्री न. पर कॉल नही उठाया गया)	यदि किसी स्तर (थाना/ पंचायत/ प्रखण्ड) पर शिकायत लेने से मना किया गया है?